



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़े सब बढ़ें

## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरोहा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/रा.शि.के./शि.प्रशि/2021 । १९२२  
प्रति

भोपाल दिनांक-०/। ०४/२०२१

प्राचार्य डाइट

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

जिला शिक्षा केंद्र

समस्त ज़िले (म.प्र.)

समस्त ज़िले(म.प्र.)

विषय:-CMRise डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत में “बुनियादी साक्षरता”(Foundational Literacy) के ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन विषयक।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, पढ़ने और लिखने की क्षमता, और संख्याज्ञान हमारे सभी बच्चों के लिए बुनियादी कक्षाओं की नींव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल विकास एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य घटक के रूप में सम्मिलित है, इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए वर्ष 2025 हमें साझा प्रयासों से इसे प्राप्त करना है।

मध्यप्रदेश के शासकीय स्कूलों में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी कौशल प्राप्त करने का लक्ष्य स्कूल शिक्षा विभाग की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से विभाग द्वारा सी एम राइज शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत, दीक्षा प्लेटफार्म पर प्रथम चरण में राज्य शिक्षा केंद्र के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में एफएलएन cell के मार्गदर्शन में सहयोगी अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश के सभी ज़िलों हेतु अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान “बुनियादी साक्षरता” पर आधारित 6 कोर्स की एक डिजिटल प्रशिक्षण शृंखला तैयार की है।

बुनियादी साक्षरता की इस कोर्स शृंखला के माध्यम से हमारे शिक्षक बच्चों में मौखिक भाषा कौशल निर्माण एवं साक्षरता कौशल को बेहतर रूप से सिखाने के लिए मातृभाषा और घरेलू भाषा की भूमिका, साक्षरता अनुकूल शिक्षण स्थान बनाने के लिए प्रिंट-समृद्ध वातावरण की भूमिका एवं बच्चों के पढ़ने के प्रवाह व समझ को विकसित करने की विभिन्न रणनीतियों के बारे में जान पाएंगे।

इस ऑनलाइन प्रशिक्षण शृंखला कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं -

1. यह कोर्स शृंखला राज्य के 1 से 5 कक्षा में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों एवं अकादमिक अधिकारियों के लिए तैयार किये गए हैं। कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षकों को सभी छह कोर्स समय-सीमा में पूर्ण करने हैं। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि केवल कोर्स पूर्ण करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है, अपितु इन सभी गुणवत्तापूर्ण कोर्स के माध्यम से अपने ज्ञान व कौशल निर्माण को और बेहतर कर अपने बच्चों के सीखने के अधिगम स्तर में सुधार लाना है।
2. इस ऑनलाइन कोर्स शृंखला का पहला कोर्स 5 अप्रैल से प्रारंभ होगा एवं प्रत्येक 15-20 दिवस के अंतर से अगले कोर्स प्रारम्भ किये जायेंगे। राज्य द्वारा प्रत्येक कोर्स की लिंक WhatsApp/DigiLEP समूहों के माध्यम से प्रत्येक ज़िले को भेजी जाएगी। शिक्षक सीधे दीक्षा एप के माध्यम से भी यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

3. जिन शिक्षकों द्वारा CMRise कार्यक्रम अंतर्गत दीक्षा एप पर अपने विभागीय यूनिक आईडी (SSO) और पासवर्ड का उपयोग कर प्रशिक्षण पूर्ण किये हैं उन्हें पृथक से कोई नया पंजीयन नहीं करना होगा, वे पूर्व की तरह सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर सकते हैं। परंतु जिन शिक्षकों द्वारा दीक्षा एप पर विभागीय यूनिक आईडी (SSO) और पासवर्ड का उपयोग किये बिना CMRise कार्यक्रम के प्रशिक्षण किये हैं या नहीं किये गए हैं उन्हें अनिवार्यतः दीक्षा एप पर विभागीय यूनिक आईडी (SSO) और पासवर्ड का उपयोग करते हुए ही बुनियादी साक्षरता ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी माड्यूल पूर्ण करने हैं। इस हेतु CMRise कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व में एक मार्गदर्शिका सभी के साथ साझा की गई है।
4. जिला परियोजना समन्वयक एवं प्राचार्य डाईट के दायित्व (समस्त ज़िला) :
- प्राचार्य डाईट एवं जिला परियोजना समन्वयक की ज़िम्मेदारी होगी कि “बुनियादी साक्षरता प्रशिक्षण” के सभी प्रशिक्षण कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं अकादमिक अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में पूर्ण किये जाए। अपने ज़िले में प्रत्येक प्रशिक्षण की प्रगति समीक्षा एवं अन्य गतिविधियों की सूचना प्रोग्रामर के माध्यम से राज्य के प्रशिक्षण कक्ष को ईमेल के माध्यम से सामाहिक उपलब्ध कराएंगे।
  - प्रत्येक कोर्स में पोस्टवर्क का प्रावधान किया गया है अतः चयनित शिक्षकों द्वारा कोर्स पूर्णता के साथ पोस्ट वर्क को गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
  - सभी एपीसी, बीआरसीसी, बीएसी, जनशिक्षकों को यह सभी प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करने हैं, जिससे वे शिक्षकों के साथ शैक्षिक संवाद के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा कर सकें।
  - कोर्स पूर्णता पर सर्टिफिकेशन : प्रत्येक माड्यूल पूर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र शिक्षकों को ऑनलाइन प्राप्त होंगे। यह प्रमाण पत्र केवल SSO अर्थात् यूनिक आईडी के माध्यम से लॉग इन करने पर ही प्राप्त होंगे। शिक्षकों को कोर्स पूर्ण करने पर किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित बुनियादी साक्षरता शिक्षा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अन्य शेष शिक्षक अथवा अकादमिक अधिकारी भी इस नवाचारी कोर्स श्रृंखला को पूर्ण कर सकते हैं तथा बुनियादी साक्षरता के मूलभूत सिद्धांतों पर अपनी समझ को परिष्कृत कर सकते।

#### बुनियादी साक्षरता कोर्स श्रृंखला केलेंडर

क्र.	प्रशिक्षण जारी होने का दिनांक	माड्यूल का नाम
1	01 अप्रैल 2021	सीखने के सिद्धांतों की संक्षिप्त जानकारी
2	23 अप्रैल 2021	साक्षरता के सिद्धांत
3	13 मई 2021	मौखिक भाषा विकास I
4	02 जून 2021	मौखिक भाषा विकास II
5	18 जून 2021	पढ़ने के कौशल का विकास
6	02 जुलाई 2021	पढ़ कर समझना व सम्बन्धित रणनीतियाँ

नोट- प्रथम कोर्स श्रृंखला का लोकार्पण 26 मार्च, 2021 को संपन्न हो चुका है उसी आधार पर कोर्स श्रृंखला पूर्ण करें।

उपरोक्तानुसार बुनियादी साक्षरता ऑनलाइन कोर्स (Foundational Literacy) श्रृंखला के प्रशिक्षण पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

*(ओ०एन०मण्डलोई )*

अपर संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र

*1.4.2021*

पृ.क्र./ रा.शि.के/शि.प्रशि./2021 1923  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक १/ ०४/२०२१

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. नियंत्रक पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा मूल्यांकन कक्ष राज्य शिक्षा केंद्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री सचिन आशापुरे, पीपल संस्था की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त प्रोग्रामर जिला शिक्षा केंद्र एवं प्रशिक्षण प्रभारी डाइटकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. आईसीटी कक्ष की ओर एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड हेतु प्रेषित।

*dp*  
1. ५. २०२१  
अपर संचालक  
राज्य शिक्षा केन्द्र